न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 10/2019

1 श्रीमती माली देवी स्त्री गिरधारीलाल।
2 श्रीमती सुशीला देवी स्त्री मदनलाल।
3 राकेश पुत्र प्रभुराम समस्त जाति नाई निवासीगण धीगड़िया तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 बजरंगलाल पुत्र देवाराम जाति ब्राहम्ण निवासी धीगडियां तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
2 लैण्ड होल्डर तहसीलदार सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 03.01.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ मुकदमा उनवानी बजरंगलाल बनाम श्रीमती माला देवी वगैरह मुकदमा नम्बर 56/2013 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री अनूप गिल, अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः– 13.09.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 56/2013 में पारित निर्णय दिनांक 03.01.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी रेस्पोडेंट ने धारा 251ए के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 45 में से 10 फुट चौड़ा रास्ता दिलवाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अदालत मातहत के द्वारा पक्षकारान के द्वारा पक्षकारान को समुचित सुनवाई का तामील जांच रिपोर्ट के लिये आदेश फरमा दिया गया तथा रेस्पोडेंट नम्बर 2 तहसीलदार सुरजगढ़ द्वारा गैर कानुनी रूप से उभयपक्षकारान की गैर को बिना किसी सुचना व नोटिस व गैर मौजुदगी में मौका जांच रिपोर्ट रेस्पोडेंट संख्या 1 के प्रभाव में आकर पेश कर दी। कानून फर्द मौका जांच रिपोर्ट करने से पहले पक्षकारान को समुचित किया जाना आवश्यक था। लेकिन तहसीलदार सुरजगढ़ के द्वारा न तो पक्षकारान को सुचित किया गया व न ही उनकी उपस्थिति में जांच मौका फर्द तैयार की गई। केवल मात्र रेस्पोडेंट संख्या 2 के मातहत द्वारा ही फर्द तैयार की गई। भूमि खसरा नम्बर 46 रकबा 5.70 हैक्टेयर भूमि सह खातेदारी की भूमि है तथा उपरोक्त भूमि प्रार्थी ने अदालत मातहत के समक्ष पेश किये आवेदन/प्रार्थना पत्र में सभी खातेदारों को न तो पक्षकार बनाया व नही यह अंकित किया कि किस खातेदार की कितनी भूमि खसरा नम्बर 46 में है तथा उपरोक्त भूमि में कई वर्षो से आवागमन के लिये रास्ता पहले से ही कायम है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रेस्पोडेंट संख्या 1 ने केवल स्वंय की भूमि के लिये नया रास्ता चाहने तथा भूमि को व्यवसायिक लाभ के लिये अपीलांट की भूमि में से नया रास्ता कायम करवाना चाहता है। अदालत मातहत ने अपीलांट को बिना किसी जवाब का अवसर दिये तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय दिनांक 03.01.2019 पारित कर दिया। अत अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा मौका रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। प्रस्तुत अपील में भी अपीलांट द्वारा गुणावगुण पर कोई कथन नही किया गया है। अपीलांट का यह कथन रहा है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया है जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.09.2017 से अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। विचाराधीन निर्णय दिनांक 03.01.2019 को अपीलांट को सुनकर पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत पाया जाता है। इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर